	राजस्थान सरकार **कार्यालय अधिक्षण भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग जयपुर।** E-mail: sg.jaipur@rajasthan.gov.in Or supgeo.jaipur@rajasthan.gov.in	**34–ए ,श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर।**

क्रमांकः–अभूवै/जय/स्टोर/मजदूरी/2025–26/ दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षर

सीमित बोली सूचना संख्या 01/ 2025–26

इस कार्यालय के क्षैत्राधिकार में वर्ष 2025–26 के अन्तिम त्रैमास (01.01.2026 से 31.03.2026) तक खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण हेतु आउटसोर्सिंग द्वारा विभागीय परियोजनाओं तथा अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य करवाए जाने हेतु श्रम विभाग से पंजीकृत फर्म/एजेन्सी/ संस्थानों से सीमित निविदाएं मोहरबंद लिफाफे में दिनांक 13.01.2026 समय प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 20.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक प्राप्त किये जाकर उसी दिन अपरान्ह 2:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोलने हेतु आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत राशि रू. 1,62500/–(अक्षरे रू. एक लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) निविदा शुल्क राशि रू. 200/–(अक्षरे रू. दो सौ मात्र) एवं बिड सिक्यूरिटी राशि रू. 3250/– (अक्षरे रू तीन हजार दो सौ पचास मात्र) है।

निविदा आमन्त्रण दस्तावेज की विस्तृत सूचना विभागीय बेवसाइट **https://mines.rajasthan.gov.in** एव स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

UBN No :-

NIB CODE :-

ESinged
(संजय सक्सेना)
अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

1

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA	**राजस्थान सरकार** **कार्यालय अधिक्षण भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग जयपुर।** E-mail: sg.jaipur@rajasthan.gov.in	**34–ए, श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर।**

क्रमांकः—अभूवै/जय/स्टोर/मजदूरी/2025–26/ दिनांकः—यथा ई–हस्ताक्षर

सीमित बोली आमंत्रण सूचना 01/2025–26

कार्यालय अधीक्षण भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर के अधीन चल रही विभिन्न खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण हेतु आऊट सौर्सिंग पर करवाये जाने वाले कार्यो हेतु विभिन्न सम्बन्धित परियोजनाओं, पर वार्षिक फील्ड प्रोग्राम 2025–26 के अनुसार एवं खनिजों के डेलीनियेशन से सम्बन्धित कार्य एवं एम0एल0/पी0एल0 पर आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें परियोजना स्थलों पर एवं अन्य जगह सेम्पलों से संबंधित कार्य, सर्वे से संबंधित कार्य, सर्वे उपकरणों की सुरक्षा एवं रख रखाव का कार्य, परियोजना स्थलों पर कैम्प का रखरखाव एवं संबंधित कार्य, पानी की व्यवस्था, चौकीदारी का कार्य, एवं अन्य सम्बंधित कार्य आउटसोर्सिंग पर करवाये जाने है। उक्त समस्त कार्य करने हेतु श्रम विभाग से पंजीकृत फर्म/एजेन्सी/संस्थानों से सीमित निविदाये दिनांक 13.01.2026 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ की जाकर निर्धारित दस्तावेजो के साथ मोहरबन्द लिफाफा पद्धति के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदायें दिनांक 20.01.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कक्ष में खोली जावेंगी। ये निविदायें वर्ष 2025–26 के अन्तिम त्रैमास (01.01.2026 से 31.03.2026) तक के लिये विधिमान्य होंगी जिसकी अवधि नियमानुसार आपसी विचार विमर्श से बढायी जा सकती है। निविदा आमंन्त्रण दस्तावेज यथा प्रारूप, शर्ते एवं संलग्नक इत्यादि निविदा शुल्क की राशि 200/— (रूपये दो सौ रूपये मात्र) नकद, बैंकर चैक या ड्राफ्ट,(म.हतें) या पे आर्डर (अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर के नाम से) के रूप में जमा करवाकर (जो लौटाने योग्य नहीं होगी) कार्यालय समय में निविदा राजस्थान लोक उपापन के स्टेट पोर्टल की बेवसाइट ीजजचरूध्ध्चचचण्तंरेजींदण्हवअण्पद पर अपलोड होने की तिथि से कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेगे । बिड सिक्यूरिटी राशि रू 3250/—नकद, बैंकर चैक या ड्राफ्ट (अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर के नाम से), बैकगारन्टी,(म.हतें) या इलेक्ट्रोनिक बैंक गारन्टी (म.ठळ) के रूपमें संलग्न की जावे। निविदा या निविदा के किसी भी भाग को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

क.सं.	**निविदा कार्यो का विवरण**	**कार्य की अनुमानित लागत**	**बिड सिक्यूरिटी राशि**	**निविदा शुल्क**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	विभागीय परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य, खनिजों के डेलिनियेशन का कार्य एम0एल0/पी0एल0 क्षैत्रो पर आवश्यक कार्य जिसमें सेम्पलिंग (सेम्पल कलेक्शन एवं सेम्पल पिप्रेशन) का कार्य, सर्वे से संबंधित कार्य, सर्वे उपकरणों की सुरक्षा एवं रख–रखाव का कार्य, परियोजना स्थलों पर कैम्प का रख रखाव एवं संबधितकार्य, पानी की व्यवस्था, चौकीदारी का कार्य, एवं निर्देशानुसार अन्य सम्बंधित कार्य हेतु आउटसौर्सिंग के आधार पर पूरा करना ।	1,62500/—(अक्षरे रू. एक लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र)	3250/— (अक्षरे रू तीन हजार दो सौ पचास मात्र)	200/—रू. (अक्षरे रू. दो सौ मात्र)

बोली दस्तावेज डाउनलोड प्रारम्भ एवं कार्यालय से प्राप्त करने तथा प्रस्तुत करने की तिथी	दिनांक 13.01.2026 को प्रातः 11.00 बजे से
बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथी एवं समय	दिनांक 20.01.2026 प्रातः 11.00 बजे तक
तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक एवं समय	दिनांक 20.01.2026 सांय 2.00 बजे

(संजय सक्सेना)
अधीक्षण भूवैज्ञानि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

2

RajKaj Ref No.: 19877306

क्रमांकः–अभूवै / जय / स्टोर / मजदूरी / 2025–26 / दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. अति0 निदेशक (भूविज्ञान),निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर ।
3. अति0 निदेशक (भूविज्ञान) खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राज0, उदयपुर
5. नोडल अधिकारी, डी0एम0जी0ओ0एम0एस0, निदेशालय,उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा आमन्त्रण सूचना, प्रारूप एवं शर्ते तथा संलग्नक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें
6. सूचना सहायक कार्यालय हाजा को भेजकर निर्देश है कि निविदा आमन्त्रण सूचना प्रारूप एवं शर्ते तथा संलग्नक Rajasthan State Public Procurement Portal की बेवसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
7. नोटिंस बोर्ड, कार्यालय अधीक्षण भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर।
8. नोटिंस बोर्ड, खनिज भवन, तिलकमार्ग, जयपुर ।

अधीक्षण भूवैज्ञानिक, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

	राजस्थानसरकार कार्यालय अधिक्षण भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभागजयपुर। E-mail: sg.jaipur@rajasthan.gov.in Or supgeo.jaipur@rajasthan.gov.in	34–ए, श्रीरामपुराकॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर।

तकनीकी निविदा प्रपत्र

तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज का विवरण निम्नानुसार है :–

निविदादाता	
पत्राचार का पता	
मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नं0	
वेबसाईट अथवा ई–मेल	
फर्म के स्वामियों/भागीदारों के नाम व स्थायी पतें की सूची सलंगन है (केवल फर्म की स्थित में)	
निविदा शुल्क राशि रू 200/–जमा कराने का विवरण	नकद/डिमांड ड्राफ्ट जो अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर के नाम से बना हुआ हो।
बोली प्रतिभूति राशि रू 3250/–जमा कराने का विवरण	बैकरचैक/डिमांड ड्राफ्ट जो अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर के नाम से बना हुआ हो।
तकनिकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 20.01.2026 को दोपहर 2.00 बजे उपापन समिति एंव उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधीक्षण भूवैज्ञानिक महोदय के कक्ष में

क्र0स0	विवरण	रजिस्ट्रेशन नं0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	वैधता	पेज नं0
01	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970					
02	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम ,1952 (प्रति संलग्न करे)					
03	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ,1948 (प्रति संलग्न करे)					
04	वस्तु एवं सेवाकर (जी एस टी) (प्रति संलग्न करे)					
05	आयकर (पेन नंबर) (प्रति संलग्न करे)					
06	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम ,1958 या इण्डियन पार्टनरशीप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अनतर्गत (प्रति संलग्न करे)					
07	कार्य अनुभव का विवरण व अनुभव प्रमाण–पत्र की					

RajKaj Ref No.: 19877306

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

	फोटोप्रति। (गत दो वर्ष का)				
08	गत तीन वर्षो का सी.ए. द्वारा जारी वित्तिय विवरण की प्रति (औसत 2 लाख से कम का नही हो)				
	क्र0स.	वर्ष	टर्न ओवर राशि रू		
	1	2022–23			
	2	2023–24			
	3	2024–25			
9	परिशिष्ट (Annexure) A,B,C,D,E,निविदा के साथ हस्ताक्षर कर संलग्न है।				

मैं/हम कार्यालय अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण की सूचना संख्या 01/2025–26 दिनांक 12.01.2026 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न प्रपत्र/प्रारूपों (उसमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने परिशिष्ट ई (Annexure-E) पर हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षरमय मुहर

RajKaj Ref No.:
19877306

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

क्र. सं.	परियोजनास्थलों का नाम व पता
1	Project No. LS-3:-Preliminary investigation and exploration for limestone n/v Rampura, Ballupura, Jhamawas tehsil Patan, district Neem-ka-Thana.
2	Project No. GEN-5:- Assessment of mineral potetial area for preparation of sutable blocks of minor mineral for auction in district Neem-ka-Thana, Sikar, Jhunjhunu and Jaipur(rural)
3	Project No.FM -1:-Assessment & Exploration of iron ore and associated minerals through mapping(b) Geophysical survey and drilling in district Jhunjhunu, Neem-ka-Thana.

नोट–प्रोजेक्ट विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए ही अनुमोदित किये जाते है। अतः तद्नुसारमान्य होगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

सवेंदक के माध्यम से सेवाओ के उपापन के लिए वित्तिय निविदा का प्रारूप **BOQ-A**

सवेंदक के माध्यम से सेवाओ के उपापन के लिए निविदा की दरें निम्नानुसार प्रपत्र मे प्रस्तुत की जावेगी।

क्र सं	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर प्रतिमाह	ईपी एफ दर प्रतिशत	ई एस आई दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	विभागीय परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य, खनिजो के डेलिनियेशन का कार्य एम0एल0/ पी0एल0 क्षैत्रो पर आवश्यक कार्य जिसमें सेम्पलिंग(सेम्पल कलेक्शन एवं सेम्पल पिप्रेशन) का कार्य, सर्वे से संबंधित कार्य, सर्वे उपकरणों की सुरक्षा एव रख–रखाव का कार्य, परियोजना स्थलों पर कैम्प का रखरखाव एवं संबधित कार्य, पानी की व्यवस्था, चौकीदारी का कार्य, एवं निर्देशानुसार अन्य सम्बंधित कार्य हेतु आउट सौर्सिंग के आधार पर पूरा करना ।	अकुशलः– यथा आवश्यकता नुसार	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अद्य तन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार		निर्धारित प्रचलित दर अनुसार	निर्धारित प्रचलित दर अनुसार		
		अर्द्धकुशल :– यथा आवश्यकता नुसार	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अद्य तन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार		निर्धारित प्रचलित दर अनुसार	निर्धारित प्रचलित दर अनुसार		

नोटः–1. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

2 कृपया दरें प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कॉलम संख्या–5 एवं सर्विस चार्ज कॉलम संख्या– 8 में अकित की जावें तथा कॉलम संख्या–9 में योग अंकित किया जावे।

3. सर्विस चार्ज न्युनतम राशि रूपये 1/– से कम अंकित नही किया जायेगा।

4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदुरी राशि रूपये से कम दर अंकित किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।

5. ईपीएफ एवं ईएसआई की दर सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार ही दी जावेगी।

6. कृपया दरें संवेदक द्वारा उक्त निर्धारित **BOQ A** अनुसार प्रस्तुत की जावे।

7. यदि एक से अधिक फर्मो की दरे एक समान प्राप्त होने की दशा में जिस फर्म का टर्नऑवर अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी। टर्नऑवर समान रहने पर अधिक कार्यानुभव वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षरमय मुहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

बोली के लिए तकनीकी निविदा की नियम एवं शर्ते :–

तकनीकी निविदा से संबंधित निम्नानुसार दस्तावेज स्व–प्रमाणित कर निविदा के साथ संलग्न किये जावे, तकनीकी निविदा स्वीकार करने के अनिवार्य बिन्दु:–

(i) अमानत राशि 3250/–रू.का बैकर्स चैक या ड्राफ्ट जो अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर के नाम देय हो, राजस्थान स्थित लघु उद्योगों की दशा में नियमानुसार छूट देय होगी, जिसके लिए नियमानुसार प्रमाण पत्र की प्रति प्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।

(ii) निविदा शुल्क 200/– रू का बैकर्स चैक या ड्राफ्ट जो अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर के नाम देय हो

(iii) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वित्तीय वर्ष का सनदी लेखाकार, चार्टेड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण संलग्न करना आवश्यक है। जिसमें तीन वर्षो का औसत टर्नऑवर प्रतिवर्ष राशि रूपये 2/– लाख का होना आवश्यक है।

(iv) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न मैनपावर संचालन के ठेके की शर्ते एवं ANNEXURE (A,B,C,D,E) जिसमें निविदादाता के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर हो।

(v) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न मैनपावर संचालन के ठेके की शर्ते जिसमें निविदादाता को किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/निगम/सरकारी उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्था आदि में न्यूनतम दो वर्ष का मैनपावर उपलब्ध कराने का अनुभव होना आवश्यक है। कार्यदेशों की प्रति संलग्न की जावें।

(vi) फर्म का (श्रम विभाग द्वारा) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति।

(vii) कर्मचारी भविष्य निधि व कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति

(viii) जी.एस.टी. रजि. प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।

(ix) आयकर पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

वित्तीय निविदा की विशिष्ठ शर्ते एवं नियमः–

1. वित्तीय निविदा BOQ-A में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी।
2. वित्तीय निविदा में अंकित दरों में यदि शब्दो और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम अभिभावी होगी जब तक की शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितिय त्रुटि से संबंधित नहीं हों। इस संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियत–2013 के नियम 64 के अनुसार कार्यवाही की जा कर निर्णय लिया जा सकेगा।
3. वित्तीय बोली का निर्धारण एवं मूल्यांकन समस्त मैनपावर के संबंध में कुल मूल्य पर किया जायेगाए, प्रस्तावों का मूल्यांकन एकमात्र राशि के आधार पर किया जावेगा। क्रय समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं स्वीकार्य होगा।
4. संवेदक को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
5. संवेदक द्वारा वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र एफ 2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 परिपत्र संख्या–1 दिनांक 30.04.2018 एवं 14.11.2018 की पूर्ण पालना करनी होगी।
6. वित्तिय निविदा में सर्विस चार्ज न्यूनतम राशि रूपये 1/– से कम अंकित नही किया जावेगा।
7. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदुरी राशि रूपये से कम दर अंकित किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
8. यदि एक से अधिक फर्मो की दरे एक समान प्राप्त होने की दशा में जिस फर्म का टर्नऑवर अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी। टर्नऑवर समान रहने पर अधिक कार्यानुभव वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

	राजस्थान सरकार **कार्यालय अधीक्षण भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग जयपुर।** E-mail: sg.jaipur@rajasthan.gov.in or supgeo.jaipur@rajasthan.gov.in	**34–ए, श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर।**

निविदा एवं संविदा की शर्तें

नोटः–निविदाकार को निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

1. कोटेशन निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करके भेजे जाने चाहिये ।
2. बोली प्रपत्र के दो भाग प्रस्तुत किया जाना है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। दोनों को पृथक–पृथक सीलबंद लिफाफों (जिन पर तकनीकी बिड़/वित्तीय बिड़ स्पष्ट रूप से लिखा हो) में एक साथ रख कर प्रस्तुत किया जाना है। बोली दाता द्वारा तकनीकी बिड हेतु यह प्रपत्र मय संलग्नक व वांछनीय दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए (मय सील) प्रस्तुत करनी है। वित्तीय बिड BOQ में ही प्रस्तुत की जानी है। इससे भिन्न रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. पंजीकृत फर्म / एजेन्सी / संस्थानों एवं आपूर्तिकर्त्ता द्वारा कोटेशन दिये जा सकेंगे।
4. यदि निविदा प्राप्त करने/खोलने वाले दिन अवकाश होता है तो निविदाऐ अगले कार्य दिवस को दोपहर 11:00 बजे तक जमा की जा सकती है और निविदाऐ अगले कार्य दिवस को दोपहर 02:00 बजे खोली जायेगी।
5. निविदाकार को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का विवरण (मय प्रमाणित प्रति) उल्लेखित करना होगा। निविदाकार को आवश्यकता होने पर आयकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. टेण्डर फार्म स्याही अथवा टंकण द्वारा भरा जा सकेगा। पेंसिल से भरा गया टेण्डर फार्म विचारणीय नहीं होगा। **निविदाकार टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ** पर एवं **अन्त में टेण्डर की समस्त शर्तो की स्वीकृति के प्रतिक स्वरूप हस्ताक्षर करेंगे** ।
7. यदि एक से अधिक फर्मो की दरे एक समान प्राप्त होने की दशा में जिस फर्म का टर्नऑवर अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी। टर्नऑवर समान रहने पर अधिक कार्यानुभव वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. समस्त दरें अंको एवं शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिये किसी प्रकार का संशोधन होने पर अथवा त्रुटि होने पर उसे स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिये एवं दिनांक सहित लम्बे हस्ताक्षर किये जाने चाहिये
9. समस्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन होगी। श्रमिकों के परियोजना स्थलो तक आने जाने के लिये किसी प्रकार का गाडी भाडा / यातायात प्रभार देय नहीं होगा ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

10. टेण्डर अनुबंध होने की तिथि से दिनांक 31/03/2026 तक की अवधि के लिये वैध होंगे तथा आगे की अवधि पारस्परिक सहमति से बढायी जा सकती है।
11. निविदाकार अपनी निविदा अथवा सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य ऐजेन्सी को सौप सकेगा और न ही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा ।
12. कार्य संतोषप्रद नही होने अथवा श्रमिको की किसी सेवाओं की आवश्यकता न रहने की स्थिति में प्रदाय की संविदा को किसी भी समय निराकृत (रिपुडियेटेड) किया जा सकता है।
13. निविदाकार जिसकी निविदा स्वीकार की गयी आपूर्ति आदेश के तीन दिवस के भीतर परियोजना कार्य स्थलों पर श्रमिक उपलब्ध कराकर आउट सोर्सिंग से कार्य सम्पन्न करायेगा ।
14. यदि निविदा सूचना में दर्शायी गयी मात्रा से अधिक मात्रा में श्रमिक आपूर्ति हेतु आदेश दिया जाता है तो निविदा में दी गयी दरों एवं शर्तो के अधीन रहते हुये पुनरावृत्ति आदेश (रिपीट आर्डर) दिये जा सकते है। पुनरावृत्ति आदेश मूल आदेश की मात्रा के 25 प्रतिशत तक के लिये हो सकेगा एवं ऐसा आदेश अंतिम आपूर्ति के एक माह की अवधि के भीतर दिया जा सकेगा । अगर निविदाकार ऐसी आपूर्ति करने में असफल रहता है तो क्रय अधिकारी सीमित निविदा अथवा अन्यथा श्रमिकों की व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्र होगा । ऐसी स्थिति में कोई अतिरिक्त व्यय होगा तो यह निविदाकार से वसूलनीय होगा ।
15. यदि क्रय अधिकारी श्रमिक सेवा आपूर्ति का कोई आदेश नहीं देता है, अथवा निविदा सूचना में दर्शायी गई संख्या से कम मात्रा के लिये आपूर्ति आदेश देता है तो निविदाकार किसी प्रकार की क्षति पूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा ।
16. पंजीकृत संस्था द्वारा निविदा कार्यो की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत राशि Bid Security के रूप में जमा करानी होगी। बिड सिक्यूरिटी राशि एवं बिड प्रपत्र मुल्य राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
17. बिड सिक्यूरिटी राशि नकद/ट्रेजरी चालान, ई–ग्रास, बैंक ड्राफ्ट अथवा अनुसूचित बैंक के बैंकर चैक /बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करायी जा सकती है। बैंक डी.डी./बैंकर चैक जो कि **अधीक्षण भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर** के नाम पर देय हो, को ही स्वीकार किया जायेगा । केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के उपक्रमों के लिये बिड सिक्यूरिटी राशि जमा करानी आवश्यक नही है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के उपक्रमों के लिये बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बोली प्रतिभूति की घोषणा संलग्न करनी होगी।
18. निम्न परिस्थितियों में बिड सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी ।
    (अ) जब निविदाकार टेण्डर खुलने के बाद लेकिन स्वीकृति से पूर्व प्रस्ताव हटाता (विड्रा) है अथवा इसमें परिर्वतन करता है।
    (ब) जब निविदाकर विहित समय के भीतर अनुबन्ध का संपादन नहीं करता है।
    (स) जब निविदाकार आपूर्ति आदेश दिये जाने के बाद निर्धारित समयावधि के भीतर सिक्योरिटी डिपोजिट (जमा) नहीं करवाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

(द) जब वह आपूर्ति आदेश के अनुसार विहित समय के भीतर आपूर्ति करने में असफल रहता है।

19. अनुमोदित निविदाकार को आपूर्ति आदेश मिलने के पांच दिवस के भीतर अनुबन्ध का निष्पादन करना होगा। ऐसे निविदाकार को टेण्डर स्वीकृति की सूचना के प्रेषित तिथि से 05 दिवस के भीतर आपूर्ति आदेश के, अनुमानित निविदा राशि रूपये 1.625 लाख का 5 प्रतिशत के बराबर अर्थात राशि रूपये 8125/–कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance security) सिक्योरिटी डिपोजिट करानी होगी ।
20. बिड सिक्यूरिटी राशि को कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance security) डिपोजिट के विरूद्व समायोजन किया जा सकेगा । कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance security) डिपोजिट पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नही होगा ।
21. कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance security) डिपोजिट नकद/ई–ग्रास/बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/चालान/एफ.डी.आर. के माध्यम से स्वीकार की जा सकेगी । केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों के लिये कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance security) डिपोजिट (जमा) कराना आवश्यक नही है।
22. अनुबन्ध के सम्पादन एवं मुद्राकंन (स्टाम्पिंग) के व्यय निविदाकार द्वारा वहन किये जायेगें। विभाग को बिना कोई मूल्य चुकाये मुद्राकिंत अनुबन्धित की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी ।
23. अनुमोदित निविदाकार आउटसोर्सिंग पर कार्य संपादन के दौरान प्रवृत्त कानूनों एवं समय–समय पर राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशों को पालना हेतु बाध्य होगा ।
24. अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि अनुबंधित कार्य सम्बन्धी कोई न्यायिक प्रकरण / लिटीगेशन दायर किया जाता है तो उसके लिये अनुमोदित निविदाकार पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा ।
25. दुर्घटना या अन्य किसी आकस्मिकता के घटने की स्थिति में अनुमोदित निविदाकार का पूर्ण उत्तरदायित्व रहेगा ।
26. किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिये यह आवश्यक नही होगा कि वह न्यूनतम निविदा ही हो । सक्षम अधिकारी को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने अथवा एक या एक से अधिक निविदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
27. यदि संविदा के निर्वचन, अथान्ययन एवं संविदा की शर्तो के भंग संबंधी कोई वाद उत्पन्न होता है तो संविदा के पक्षकरों द्वारा प्रकरण संबंधित प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी को निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा ।
28. समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पडें, तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

29. निविदाकार द्वारा आउट सौर्सिंग पर किए गए कार्यो के पेटे प्रत्येक माह संबन्धित को किये गये भुगतान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

30. एजेंसी को संलग्न सूचीनुसार एवं निर्देशित स्थान पर कार्य सम्पन्न करना होगा एवं अनुबन्ध में उल्लेखित राशि के अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी। एजेंसी को नियमानुसार पी.एफ., ई.एस.आई. व सेवा कर आदि को प्रतिमाह स्वयं के स्तर पर संबंधित खातों में जमा कराना होगा । इस बाबत विभाग का कोई सरोकार नही होगा। विभाग इसके लिये कोई अलग से भुगतान नहीं करेगा। इससें संबंधित सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यकारी एजेंसी की होगी ।

31. निविदादाता को प्रभारी, केम्प इन्चार्ज के निर्देशानुसार निविदा में अंकित अनुसार कार्य करवाना होगा ।

32. निविदादाता द्वारा उपरोक्तानुसार आऊट सोर्सिंग पर किए जाने वाले कार्यो से संबंधित किसी भी सेवा संबंधी विवाद में पूर्ण दायित्व का निर्वहन करना होगा तथा विभाग की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

33. उक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा आऊट सोर्सिंग कार्य हेतु समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों की पालना निविदादाता हेतु बाध्यकारी होगी।

34. उपरोक्त कार्यो में से कोई भी कार्य निविदादाता द्वारा समय पर न करने पर कार्य अन्य एजेन्सी से करवा लिया जावेगा और इस प्रकार के कार्य पर व्यय होने वाली राशि अनुमोदित निविदाकार के भुगतान में से काट ली जावेगी । इसके अतिरिक्त आर्थिक दण्ड के रूप में जोखिम पर करवाये गये कार्य पर व्यय की गई राशि से दोगुणा राशि तक दण्ड के रूप में आरोपित की जा सकती है।

35. इस निष्पादित संविदा के संबंध में कोई न्यायालयी विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जावे तो माननीय न्यायालय के आदशों की पालना अनुमोदित निविदादाता द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी ।

36. यह कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त कार्यो की व्यवस्था का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी ।

37. निविदादाता कार्य समाप्ति पर कार्य के बिलो को परियोजना अधिकारियों से प्रमाणित एवं उच्च अधिकारियों से प्रतिहस्ताक्षर करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा एवं बिल की राशि का भुगतान निदेशालय से प्रशासनिक स्वीकृति/बजट आवंटन प्राप्त होने के पश्चात ही किया जावेगा ।

38. न्युनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबधित संवेदक का होगा।

39. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होगे। पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपी पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेजो के साथ संम्बन्धित उत्पादन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी। राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.11.2018 अनुसार बोलीदाता के द्वारा प्रस्तुत ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम 1970/ संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अनतर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नही है तो वह तदानुसार वचनपत्र (undertaking) प्रस्तुत करत हुए बोली में भाग ले सकता है।

40. सफल बोलीदाता को यह शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा की निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं नियम 1970/ संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अनतर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है तो तदानुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण–पत्र की प्रति कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

41. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालीन (पार्ट–टाईम) मानव संसाधनो की सेवाओ के 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालीक सेवा का बोली दस्तावेजो मे स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड संबन्धित कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालीक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐ 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी। उन्हे उनकी सेवाओ के विरूद न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी।

42. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते मे ही किया जाायेगा। संबन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको के बैक खाते मे जमा कराई गई राशि का विवरण संबन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिको के बैंक खातों मे जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टी होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

43. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबन्धित संवेदक का होगा।

44. श्रमिको को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय– समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदुरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

45. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की न्यूनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई. पी. एफ. एवं ई. एस. आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती ओर संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ईपीएफ ओर ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह की बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

46. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर डीसप्ले बोर्ड लगाये जायेगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हैल्प लाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी [illegible] नही करने की शिकायत करने संबन्धित प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

47. राज्य मे लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एव ई. एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगाा।

48. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति मे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

49. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशो की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति मे उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा ।

50. यदि संवेदक द्वारा एवं कार्य पर लगाये गए श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धिंत श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

51. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम,1974 में विहित प्रावधानो, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन , छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

52. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ मे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई एस आई करवाने/सामूहिक दूघर्टना बीमा करवाने इत्यादी की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

53. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती हो तो उपापन संस्था इस संबन्ध मे श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी ओर, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति मे संवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेगी।

54. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत मे कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी मे सम्मिलित नही करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृती प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत की पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबन्धित संवेदक का होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

55. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्यआदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

56. निविदादाता को यह स्वयं सुनिश्चत करना होगा की बोली दस्तावेज निर्धारित समय तक कार्यालय को प्राप्त हो जाये, देरी से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

57. क्वालिफाई बिड (तकनीकी बोली) मे योग्य पाये जाने वाले बोली दाताओं की ही प्राईज बिड (वित्तीय बोली) क्वालिफाईड बिड खोलने की दिनांक को ही कार्यालय दिवस के अन्तर्गत खोली जानी संभावित है। नवीनतम जानकारी के लिए विभागीय बेवसाईड एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।

58. निविदा दस्तावेज सहित सभी संचार/पत्राचार निविदादाता द्वारा स्वयं या निविदादाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर मोहर लगाई जानी चाहिए।

59. तकनीकी निविदा, निविदा लगाने के लिए नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोली जायेगी, तकनीकी मूल्याकंन प्रक्रिया की योग्य बोलियों को ही वित्तीय निविदा के मूल्याकंन के लिए आगे विचार किया जायेगा।

60. सशर्ते या अग्रिम भुगतान की निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा एवं प्रथम दृटया रद्द कर दिया जावेगा।

61. सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी होने की तिथि से सात कार्य दिवस में कार्यआदेश में वर्णित की सेवाऐं प्रदान करनी होगी।

62. निविदादाता के लिए वाध्यता होगी कि अपराधीक चरित्र/अपराधिक प्रकृति /न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी, सजायाफता कार्मिक को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।

63. किसी शिकायत अथवा निविदादाता की लापरवाही पर उचित कटौति कर भुगतान किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा राशि रू. 500/–(पांच सौ रूपयें मात्र) प्रति शिकायत पर होगी किन्तु यह सीमा अत्यधिक शिकायत होने की स्थिति में लागू नहीं होगी अधिक शिकायत होने पर इसमें वृद्वि की जा सकती है। कार्य के संतोषप्रद होने या ना होने के बारे में अधीक्षण भूवैज्ञानिक,जयपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा कार्य की अत्यधिक असंतोषप्रद होने पर या फर्म द्वारा इसमें सुधार न करने की स्थिति में कार्यालय द्वारा अन्य श्रमिक की सेवाऐं ली जाकर कार्य करवाया जावेगा।

64. संवेदक के मासिक बिल की राशि में से नियमानुसार सभी विधि कटौतियां सरकार के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

65. <u>बातचीत (Negotiation)</u>

(1) जहॉ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगीः–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह किमतें (RingPrice) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अंतर हो।

(2) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बाचतीत के लिए बुलाने के लिए 7 दिवस का समय दिया जायेगा। किन्तु अत्यआवश्यकता के स्थिति में मुल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेंगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

66. **<u>बोली की विधि मान्यताः–</u>**

1. दरों की वैधता वित्तीय बोली बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।
2. अनुमोदित सेवादाता के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली सेवा शर्तो आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है।
3. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सौपेगा या उपभाडे (Sub-Let) पर नही देगा।

4. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification)होगी।

67. <u>करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति(Agreement and Performance Security)</u>

1. बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 05 दिन में सेवाओं के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की पॉच प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में अधीक्षण भूवैज्ञानिक,जयपुर को जमा करानी होगी। तथा रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियन स्टाम्प पेपर/नियमानुसार पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर.प्रारूप 17 में में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।
2. कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।
3. कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी :–

(क) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक का ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ख) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित,यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधकम रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

(ग) किसी अनुसूचित बैक की बैक गारंटी/गारंटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैक की कार्यालय के नाम pledge की गई नियत जमा रसीद(एफडीआर) यदि बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना,नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

(ड) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाब और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से पूरे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोंटः– अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि चसमकहम की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

(च) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया(Outstandingdues) नहीं है, संविदा अवधि समाप्ति से एक माह के भीतर अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा।

4. कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeitureof work Performance Security Deposit)सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

1. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लागने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत(Counterfoil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी।
2. बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (partnrershipDeed)की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलीफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्टार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(य) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जायेगा।

यह कि उपरोक्त आऊटसोर्सिग पर कराए जाने वाले कार्यो में यदि कोई कमी होती है तो तदनुसार संपादित कार्य के अनुरूप भुगतान योग्य राशि का ही निविदादाता को भुगतान किया जायेगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई उज्रमान्य नहीं होगा।

68. कार्यरत संविदाकर्मी अधीक्षण भूवैज्ञानिक महोदय या प्रभारी प्रयोजना अधिकारी द्वारा निर्देशित अनुसार अपनी उपस्थिति कार्यालय में ड्यूटी पर आने व जाने के दोनो समय पर देगे। संवेदक द्वारा लगाये गये संविदाकर्मियो को अपने कार्य के समय की पूर्ण अवधि में निर्धारित स्थान पर मौजूद रह कर कार्य करेंगे। निर्धारित स्थान नही पाये जाने की स्थिति में उस कर्मचारी को अनुपस्थित माना जायेगा तथा बिना सूचना के माह मे चार दिन से अधिक अनुपस्थित रहने की स्थिति में राशि रूपये 200/–की शास्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगाई जावेगी।
69. संवेदक के व्यक्ति द्वारा यदि कार्यालय के किसी भी उपकरण अथवा अन्य सामान को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी एवं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य होगा। कार्य का स्थान जिस स्थिति में सौपा जायेगा। उसी स्थिति में संविदा समाप्त होने पर उसी स्थिति में वापिस सुपुर्द करना होगा। संविदा के दौरान संविदाकर्मी द्वारा किये गये नुकसान की भरपाई संवेदक को करनी होगी।
70. संविदा को दिनांक 31.03.2026 को पूर्ण होने पर भी कार्यालय को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को आगामी तीन माह के लिए या नियमानुसार बिना किसी शर्त के बढा सकेगी। जिसकी पालना के लिए संवेदक बाध्य होगा।
71. उपरोक्त प्रकार से यदि अवधि में वृद्धि में सहमति नही होती है तो नवीन संविदा स्वीकृत होने तक अथवा आगामी तीन माह जो भी हो एक स्वीकृत दर पर ही कार्य करने को बाध्य होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

नही करने पर निविदा शर्तो को तोडना माना जायेगा,तथा प्रतिभुति राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

72. यदि स्वीकृत निविदादाता निर्धारित समयावधि में अपनी सेवाएं प्रदान नही करता है तो कार्यालय द्वारा बाजार से प्रचलित दरों पर या पुनः निविदा के माध्यम से कार्य करवाया जा सकेगा जिसके नुकसान की भरपाई संवेदक से की जावेगी एवं संवेदक की प्रतिभुति राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त करने का अधिकार कार्यालय अध्यक्ष को होगा।
73. संवेदक को दर संविदा होने के बाद जिसमें बढी हुई अवधि भी सम्मिलित होगी के लिये नियमित रूप से कार्य करना होगा। संवेदक द्वारा कार्य बीच में छोडने पर अथवा शिकायतों के फलस्वरूप अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर के द्वारा संविदा निरस्त किये जाने पर प्रतिभुति राशि जब्त कर ली जावेगी।
74. संवेदक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है या प्रशासन के निर्देर्शो की पालना नही की जाती है तो अनुबंध को भंग करना माना जायेगा तथा ऐसी स्थिति में संविदा समाप्त कर प्रतिभुति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति का होगा।
75. संवेदक को श्रम विभाग द्वारा दिये गये नियम निर्देर्शो की पालना करना आवश्यक होगा।
76. संवेदक द्वारा लगाये गये संविदा कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर निविदादाता को निर्धारित अवधि में स्वयं के खर्चे पर करवाया जाकर उसकी प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
77. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपी/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी
78. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
79. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुश्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणवागुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पस्ष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
80. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों, वित विभाग द्वारा जारी आदेशों के प्रावधान, श्रम विभाग के प्रावधान, ठको श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970की धारा उपधारा (2) तथा उसके अधीन बनाये गये राजस्थान ठेका श्रमिक नियम, 1971 के अन्तर्गत यथा आवश्यकतानुसार लागू होगें। बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
81. संवेदक तथा समिती एवं कार्यरत कार्मिकों के मध्य किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नही होगा। संवेदक श्रम विभाग की दरों, नियम एवं विनियम आदि की पालना स्वंय के स्तर पर सुनिश्चित करेगा।
82. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राज.लो.उपा.में पारदर्शिता नियम 2013 तथा इन नियमों में परवर्ती समस्त संशोधन जो कि तत्समय प्रभावी हों के तहत संविदा की सभी प्रक्रिया, नियम तथा शर्ते निविदादाता को मान्य होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

83. उक्त अधिनियम की धाराओं एवं नियमों के अन्तर्गत जारी एनेक्शचर ए,बी,सी एवं डी0 ई संलग्न है। उक्त समस्त को निविदादाता को अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा।

मैनें/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 01 से 83 तक भली–भांति यह पढ लिया है एवं समझ लिया हैं। मै/हम उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये सहमत है

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

नाम व पता

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti- competitive behaviou to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process:
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
(g) Disclose conflict of interest, if any: and
(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limted to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them ; or
c. Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process: or
e. The Bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid in result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limits the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

RajKaj Ref No.: 19877306

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qulifications

Declaration by the Bidder

In relation to our Bid submitted to the District Election Officer, Jaipur for supplying Prepared hording, Flex, and Banner etc. in response to their Notice Inviting Bids No …….Dated…… we here by declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1) I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2) I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government of the State Government or any authority, as specified in the Bidding Document.

3) I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4) I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5) I/We do not have a confect of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:	Signature of the bidder:
Place:	Name:
	Designation:
	Address:

Signature Of Bidder

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

Appendix C: <u>Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)</u>

The designation and address of the first Appellate Authority is Additional Director (Geology) Mines and Geology Department Jaipur.
The designation and address of the Second Appellate Authority is Director,Mines and Geology Department Udaipur.

1- Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the bidding document, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: providing further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Finacial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

1- The officer to whom an appeal is filed under para (a) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within a period of 30 days of the date filling of the appeal.

2- If the officer designated under para (a) fails to dispose of the appeal within the period specified in para (B) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the specified in para (b) or date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

3- Appeal not be lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

a) Determination of need of procurement;
b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;
c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
d) Cancellation of a procurement process;
e) Applicability of the provision of confidentiality.

4- From and procedure of filing an appeal

1- An appeal under para (1) or (3) shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents the appeal.

2- Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

3- Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

5- Fee for filing appeal

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

1- Fee for fist appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

2- The fee shall be paid in the form of bank, demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

2- Procedure for disposal of appeals

1- The Fist Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

2- On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(a) hear all the parties to appeal present before him; and

(b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

3- After hearing the parties, peruse or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

4. The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

RajKaj Ref No.: 19877306

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No……..of……..

Before the …….. (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant;
   (I) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s);
   (I)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order(enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   (Supported by an
   affidavit)
7. Prayer…….
   Place…….
   Date……

Appellant's Signature

RajKaj Ref No.: 19877306

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1.Correction of arithmetical errors

provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

1- if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obivious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

2- If there an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

3- If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to 1 and 2 above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed,

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(1) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding documents due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding documents.

(2) Orders for extra items may be placed by the procuring entity in accordance with the Schedule of Powers as prescribed by the Finance Department, upto 5% of the value of the original contract, if allowed in the bidding documents. The fair market value of such extra items payable by the procuring entity to the contractor shall be determined by the procuring entity in accordance with guidelines prescribed by the administrative department concerned.

(3) Orders for additional quantities may be placed, if allowed inthe bidding documents, on the rates and conditions given inthe contract and the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of orders for additional quantities shall be as under :- (a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and (b) 50% of the value of goods or services of the original contract. Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additional quantities beyond 50% of the quantity of the individual items as provided in the original work order with prior approval of the Admministrative Department concerned as follows :-

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

1

(i) the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirements from the competent authority for reasons to be recorded in writing. Wherever necessary, due to the quantum of orders for additional quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sanctions from the competent authorities; (ii) that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed; (iii) that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceedd in any case.

3.Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

- As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted if such condition is specified in the bidding documents. Counter offer to first lowest bidder (L1), in order to arrive at an acceptable price, shall amount to negotiation. However, any counter offer thereafter to second lowest bidder (L2), third lowest bidder (L3) etc., (at the rates accepted by L1) in case of splitting of quantities, as pre- disclosed in the bidding documents, shall not be deemed to be a negotiation

Signature of Bidder

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

Annexure "E"

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम.....(निविदादाता या फर्म) घोषणा करता हूँ/ करते है कि मैंने / हमने/कार्यालय अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर द्वारा जारी निविदा नं0 01/2025–26 में अंकित अनुसार आउटसौर्सिग पर किये जाने वाले कार्यो हेतु जो निविदा दी है। उसमें हम पंजिकृत फर्म / एजेन्सी / संस्थान है/हूँ।

मैने/हमने निविदा में अंकित अनुसार अधिनियम/नियम की सभी घोषणाओं एवं नियमों को पढ़कर समझ लिया है। अतः मैं/हम इनकी सभी प्रक्रियाओं/अपेक्षाओं की पालना/पूर्ति करने के लिए पाबन्द/प्रतिबद्व हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही की जा सकती है, पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी बिड सिक्यूरिटी को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षरमय मुहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Saxena
Designation : Superintending Geologist
Date: 2026.01.12 14:41:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19877306

1